भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1933

02 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

होम्योपैथी का एकीकरण

1933. श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का स्वास्थ्य सेवा में होम्योपैथी की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए इसे मुख्यधारा की चिकित्सा में एकीकृत करने तथा चिकित्सकों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है ताकि इसकी पूरी क्षमता का दोहन किया जा सके और इसकी सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं कि देश होम्योपैथिक अनुसंधान में अग्रणी बने, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ):

- जी हां, होम्योपैथी, आयुष मंत्रालय के तहत एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति है। होम्योपैथी शिक्षा और पद्धति को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) के माध्यम से और अनुसंधान को केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) के माध्यम से विनियमित किया जा रहा है। आयुष मंत्रालय ने होम्योपैथिक औषधियों के मानकीकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों यथा कोलकाता में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान (एनआईएच) और नरेला, दिल्ली में इसके अनुषंगी संस्थान, पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान (एनईआईएएच), शिलांग, मेघालय और भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच) की भी स्थापना की है।

- एनसीएच अधिनियम को एक ऐसी चिकित्सा शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था जिससे देश के सभी हिस्सों में गुणवत्तापूर्ण और सस्ती चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच बढ़ाई जा सके, देश के सभी हिस्सों में पर्याप्त और उच्च गुणवत्तायुक्त होम्योपैथी चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इस अधिनियम में न्यायसंगत और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने का प्रावधान है जो सामुदायिक स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करता है और ऐसे चिकित्सा पेशेवरों की सेवाओं को सभी नागरिकों के लिए सुलभ और सस्ती बनाता है; जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों को बढ़ावा देता है; जो ऐसे चिकित्सा पेशेवरों को अपने काम में नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान को अपनाने और अनुसंधान में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है; जिसका उद्देश्य चिकित्सा संस्थानों का समय-समय पर और पारदर्शी रूप से मूल्यांकन करना है तथा भारत का होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का चिकित्सा रजिस्टर रखने में सहायता प्रदान करना है और जो चिकित्सा सेवाओं के सभी पहलुओं में उच्च नैतिक मानकों को लागू करता है; जिसे बदलती जरूरतों के अनुकूल ढाला जा सकता है और जिसमें, इससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र है। आयोग के तहत अलग-अलग स्वायत्त बोर्ड गठित किए गए हैं, यथा शिक्षा नीति संबंधी मामलों के लिए होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड; होम्योपैथी के चिकित्सा संस्थानों के मूल्यांकन और रेटिंग के लिए होम्योपैथी चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड; होम्योपैथी चिकित्सकों के आचार और पंजीकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए होम्योपैथी आचार और पंजीकरण बोर्ड। एनसीएच अधिनियम में होम्योपैथी, भारतीय चिकित्सा पद्धति और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए, आयोगों अर्थात राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग,

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की संयुक्त बैठक आयोजित करने का प्रावधान है ताकि विविध चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा सके।

- केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) आयुष मंत्रालय के तहत होम्योपैथी में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक शीर्ष निकाय है। सीसीआरएच, नैदानिक अनुसंधान, औषधि प्रमाणन, औषधि सत्यापन, औषधि मान्यकरण, औषधि मानकीकरण, जन-स्वास्थ्य अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान और महामारी अनुसंधान जैसे अनुसंधान कार्यकलाप या तो अंतरवर्ती तरीके से अथवा विभिन्न विश्वविद्यालयों/प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से करती है। सीसीआरएच होम्योपैथी को बढ़ावा देने और आम जनता के बीच इसे लोकप्रिय बनाने के लिए राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय आरोग्य मेलों/स्वास्थ्य शिविरों/प्रदर्शनियों में भाग ले रही है। आईईसी कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, सीसीआरएच ने सूचना एवं शिक्षा सामग्री तैयार की है जो प्रदर्शनियों/स्वास्थ्य मेलों/सेमिनारों/विश्व होम्योपैथी दिवस समारोह/सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट आदि के माध्यम से आम जनता को मुफ्त में वितरित की जाती है। इसके अलावा, परिषद ने जन-स्वास्थ्य पहल कार्यक्रम शुरू किए हैं यथा होम्योपैथी के लिए एनपीसीडीसीएस कार्यक्रम का एकीकरण; स्वस्थ बाल कार्यक्रम के लिए होम्योपैथी कार्यक्रम के तहत, बच्चों में दांत निकलने की स्वस्थ प्रक्रिया हेतु होम्योपैथी; स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम; अनुसूचित जाति घटक योजना (एससी घटक योजना) स्वास्थ्य शिविर; अपने केंद्रों के माध्यम से पोषण माह अभियान में प्रतिभागिता; आजादी का अमृत महोत्सव से संबंधित गतिविधियों में प्रतिभागिता। सीसीआरएच एकीकरण चिकित्सा के क्षेत्र में सहभागिता और सहयोग में अनुसंधान भी कर रहा है।

- राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान (एनआईएच), कोलकाता, आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है जो होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान में उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है, उच्चतम पेशेवर मानकों और नैतिक मूल्यों के अनुसार होम्योपैथी के स्नातक-पूर्व, स्नातकोत्तर छात्रों और अनुसंधान छात्रों को शिक्षित और प्रशिक्षित करता है। हाल ही में, भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 11.12.2022 को दिल्ली के नरेला में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान के एक अनुषंगी परिसर का उद्घाटन किया और उसे राष्ट्र को समर्पित किया। नरेला, दिल्ली स्थित इस अनुषंगी संस्थान की स्थापना, क्षेत्र की आबादी की आवश्यकता को पूरा करने और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान करने के लिए की गई है।

- पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान (एनईआईएएच), शिलांग, मेघालय, आयुष मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वायत्त संस्थान है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लोगों को आयुर्वेद एवं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों के तहत स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराता है; इसके अतिरिक्त, आयुर्वेद और होम्योपैथी को बढ़ावा देता है तथा इन्हें लोकप्रिय बनाता है और आम लोगों में, आयुर्वेद एवं होम्योपैथी के महत्व, प्रभावकारिता और ताकत के बारे में जागरूकता पैदा करता है, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का विस्तार करता है, चिकित्सक और जनसंख्या के बीच के अनुपात को सुधारता है तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव-संसाधनों पर अनुसंधान और विकास करता है।

- भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच) आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक अधीनस्थ कार्यालय है जो भेषजसंहिताएं और फॉर्मूलरीज विकसित करने के साथ-साथ, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी के लिए केंद्रीय औषधि परीक्षण सह अपीलीय प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करता है। आयुष मंत्रालय की ओर से पीसीआईएम एंड एच द्वारा होम्योपैथिक औषधियों के भेषजसंहिता मानक, भारतीय होम्योपैथिक भेषजसंहिता (एचपीआई) के प्रकाशन के माध्यम से स्थापित किए जाते हैं।

- राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष मंत्रालय की केंदीय प्रायोजित योजना है जिसके तहत आयुष अस्पतालों और औषधालयों की संख्या बढ़ाकर, आयुष अस्पतालों/औषधालयों का उन्नयन करके, आयुष चिकित्सा पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए निचले स्तर पर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा उपलब्ध कराने के लिए आयुष स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र संचालित करके, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं के सह-स्थापना करके आयुष को मुख्यधारा में लाकर, आयुष औषधियों और प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए, आयुष जन-स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाकर तथा और रोगियों को एक ही स्थान पर होम्योपैथी सहित विभिन्न

चिकित्सा पद्धतियों को चुनने का विकल्प देकर आयुष सेवाओं तक बेहतर पहुंच बना रहा है। आयुष चिकित्सकों/पैरामेडिक्स की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सहायता दी जा रही है, जबकि आयुष के बुनियादी ढांचे, उपकरण/फर्नीचर और औषधियों के लिए सहायता आयुष मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत साझा जिम्मेदारियों के रूप में प्रदान की जा रही है।

*****